

प्रेषिका,

सुश्री प्रीति II,

निबंधक,

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

द्वारा,

पीठासीन अधिकारी,

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

सेवा में,

महानिबंधक,

भा० उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

पत्रांक: **765** /भू०अ०पु०प्रा०गोरखपुर/2023

दिनांक: **18** अक्टूबर, 2023

विषय: चिकित्सा प्रतिपूर्ति रू० 318529/- मात्र को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको यह अवगत कराना है कि मेरे द्वारा दिनांक 16-03-2023 से दिनांक 05-07-2023 तक दायें पैर के टूट जाने का ईलाज मेदान्ता हास्पिटल गुरुग्राम व मेदान्ता हास्पिटल लखनऊ में कराया गया एवं कुल रू० 333724/- मात्र का व्यय किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पत्रांक सं० 2866 दिनांक 16-10-2023 के द्वारा उक्त चिकित्सीय प्रपत्रों की परीक्षणोपरान्त रू० 318529/- मात्र की धनराशि प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुति की गयी है जिसकी मूल प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे द्वारा दिनांक 16-03-2023 से दिनांक 05-07-2023 तक कराये गये ईलाज की चिकित्सीय प्रतिपूर्ति धनराशि रू० 318529/- स्वीकृत कराने की कृपा करें।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

सादर।

FORWARDED


भवदीया,

(सुश्री प्रीति II)

निबंधक,

भूमि अर्जन पुनर्वासन और
पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

पीठासीन अधिकारी
भू० अ० पु० प्रा०
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर


31/10/23